संख्या-16/2015/4594/71-2-14-एस-6/2014

प्रेषक,

अरिन्दम भट्टाचार्य,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान,
सैफई इटावा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 28 जनवरी, 2015

विषय- वित्तीय वर्ष 2014-15 में आयोजनागत पक्ष में संस्थान के अंतर्गत पैरामेडिकल विज्ञान महाविद्यालय, के अपरिहार्य व्ययों को वहन करने हेतु वित्तीय स्वीकृति।

---

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2952/रिम्सएण्डआर/2014-15 दिनांक 09 दिसम्बर, 2014 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्या-1026/71-2-14-एस-6/2014 दिनांक 07-4-2014 एवं शासनादेश संख्या-3066/71-2-14-एस-6/2014 दिनांक 29 अगस्त, 2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई इटावा के अंतर्गत पैरामेडिकल विज्ञान महाविद्यालय, के अपरिहार्य व्ययों को वहन करने हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में आयोजनागत पक्ष में 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रू0 1,95,00,000/- के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 97,50,000/- (रूपया सतानबे लाख पचास हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- उक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु स्वीकृत की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसकी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

3- यह धनराशि उसी मद में खर्च की जायेगी जिसके लिए इसकी स्वीकृति दी जा रही है। अन्य मद में खर्च वित्तीय अनियमितता जानी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, आर0आई0एम0एस0, सैफई इटावा द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के लेखानुदान के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्षक-"2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-आयोजनागत-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-0331-रूरल इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च, सैफई इटावा में पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3/146/दस-2015, दिनांक 22 जनवरी, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

अरिन्दम भट्टाचार्य
विशेष सचिव।

*संख्या-16/2015/4594(1)/71-2-14-तद्दिनांक*

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी, इटावा।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त अधिकारी, आर0आई0एम0एस0, सैफई इटावा।
5. वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4 ।
6. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
7. गार्डफाइल।

आज्ञा से

( ऋषिकेश दुबे )
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।